


1/2/24

चूंकि मूल निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा
विश्लेषण किए जाने पर खारिज की जा
- चुकी है, अतः स्थगन पार्शना पत्र सारहीन
होने के कारण अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा
दिनांक 20/12/2016 को खारिज करते हुए
स्थगन पार्शना पत्र को खारिज किया
जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर
दर्ज नम्बर से कम होकर दारिखल
दफ्तर है।


अपर कलक्टर, बालोतरा
(ए.डी.एम.)